

13/8
24
Not Press
कलकत्ता

अधिवक्तागणु उपरिषत। प्राची अधिवक्ता
के द्वारा प्राचीना पत्र अन्तर्गत धारा 312
RTA नोटिफिकेशन किया। प्राची अधिवक्ता
को सूना गया व पत्रावली को अवलोक
किया गया। लिहाजा प्राची अधिवक्ता
द्वारा प्राचीना पत्र अन्तर्गत धारा 312
RTA नोटिफिकेशन करने पर प्रकरण इसी
स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण
में जारी अस्थायी विवेधाना दिनांक 5/6
भी निरस्त की जाती है। पत्रावली
विधि होकर नम्बर से कम होकर
मूलवाद के साथ सलग्न हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर